न्यायालय अपर कलक्टर, नागौर, जिला नागौर (राज.)

पीठासीन अधिकारी – श्री मोहन लाल खटनावलिया, आर0ए0एस0

पंचायत निगरानी संख्या : 07 / 2021

प्रार्थीगण	बनाम	अप्रार्थी
1 भंवरलाल पुत्र रामनारायण 2 रामेश्वरलाल पुत्र रामबल्लभ जातियान सुथार निवासीगण गोटन तहसील मेडता जिला नागौर।		ग्राम पंचायत गोटन जरिये सचिव, ग्राम पंचायत गोटन पंचायत समिति मेडता जिला नागौर।

उपस्थिति–

1 श्री कन्हैया लाल सुथार अधिवक्ता, प्रार्थीगण की ओर से।

पंचायत निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राज. पंचायतराज अधिनियम 1994

निर्णय

दिनांक 06.07.2022

1– प्रकरण इस प्रकार है कि प्रस्तुत निगरानी राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 97 के अन्तर्गत ग्राम पंचायत गोटन द्वारा प्रस्ताव सं. 03 दिनांक 26.01.2020 से असंतुष्ट होकर दिनांक 05.11.2020 को प्रस्तुत की गई। प्रार्थीगण की निगरानी दिनांक 18.01.2021 को दर्ज रजिस्टर की जाकर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी बावजूद सूचना के न्यायालय में गैर हाजिर रहा है। प्रार्थीगण ने अपनी निगरानी के समर्थन में प्रस्ताव संख्या 03 दिनांक 26.01.2020 की फोटोप्रति, खतोनी सम्वत् 2076 की फोटोप्रति, ग्रामीणों के नामों की मय मोबाईल नम्बर तथा उनके निवास स्थानों की सूची की फोटोप्रति, नक्शा की फोटोप्रति पेश की गई। अधीनस्थ ग्राम पंचायत का रेकर्ड मंगाया गया।

2– वकील प्रार्थीगण की एक पक्षीय बहस सुनी गई। दौराने बहस वकील प्रार्थीगण ने निगरानी में वर्णित तथ्यों को दुहराते हुए दलील दी कि –

2(1)– खसरा नम्बर 651 रकबा 0.3000 हैक्टेयर गैर मुमकिन खान मौजा गोटन रकबा राज हैं, जिस पर किसी तरह का निर्माण कराने का प्रस्ताव करने का ग्राम पंचायत गोटन को कोई हक अधिकार नहीं है, ऐसी दशा में प्रस्ताव संख्या 3 दिनांक 26.01.2020 पूर्ण रूप से विधि विरूद्व बिना क्षेत्राधिकार के होने से अपास्त किया जाने योग्य है।

2(2)– खसरा नम्बर 651 रकबा 0.3000 हैक्टयर पुरान खसरा नम्बर 1269 से बना है तथा पुराना खसरा नम्बर 1269 के बावत प्रार्थीगण द्वारा सहायक कलक्टर एवं एसडीओ मेडता सिटी में वाद इस बात का किया हुआ है कि प्रार्थीगण का खेत साबिक खसरा नम्बर 1267 हाल खसरा नम्बर 645 का भू भाग साबिक खसरा नम्बर 1269 हाल खसरा नम्बर 651 में पैमायशकर्ताओ के द्वारा क्षेत्रफल गणना में त्रुटि से दर्ज करके हाल खसरा नम्बर 651 का रकबा अधिक दर्ज कर दिया व प्रार्थीगण के खेत का रकबा कम दर्ज कर दिया गया। उक्त त्रुटि को दुरूस्त करने के लिए वाद प्रार्थीगण द्वारा पेश कर स्थगन आवेदन पत्र पेश किया गया, जिससे स्थगन आदेश ताफैसला वाद जारी हो रखा है। ऐसी दशा में विवादग्रस्त खसरा नम्बर 651 के बाबत किसी तरह का प्रस्ताव लेने व उस पर निर्माण करने का प्रस्ताव लेने का कोई हक अधिकार ग्राम पंचायत गोटन को नहीं है तथा उक्त वाद में राज्य सरकार पक्षकार होने से उक्त स्थगन आदेश की पालना के लिए पाबंद हाने से कोई फेरबदल करने का हक नहीं होने से प्रस्ताव जो ग्राम पंचायत ने लिया हैं, वह गलत होने से अपास्त योग्य है।

2(3)– रकबा राज खसरा नम्बर 651 होने से तथा प्रार्थीगण के द्वारा किये गये वाद में राजस्थान सरकार पक्षकार होने से स्थगन आदेश से यथास्थिति रखा जाने के लिए सरकार व सरकार के अधिकारीगण भी पाबंद होने से ग्राम पंचायत के प्रस्ताव पर कोई कार्यवाही नहीं की जाने हेतु पाबंद है, ऐसी दशा में भी प्रस्ताव ग्राम पंचायत विधि विरूद्व होने से अपास्त योग्य है।

2(4)– जिन–जिन लोगो ने इस प्रस्ताव को पारित करने का आवेदन पत्र पेश किया हैं, वो सभी लगभग गांव गोटन के इस वार्ड के निवासीगण नहीं है, न ही ग्राम पंचायत के तहत इस वार्ड में उनका कोई हक अधिकार ही है, ये सभी लोग गलत ढंग से गांव की भूमि को खुर्द बूर्द करने व हथियाने के लिए अनुचित कृत्य करके प्रार्थीगण के हको पर कुठाराघात करने की नियत से यह कार्यवाही की गई है, ऐसी दशा में भी प्रस्ताव ग्राम पंचायत गोटन दिनांक 26.01.2020 प्रस्ताव संख्या 3 विधि विरूद्व होने से निरस्त योग्य है।

अपर कलक्टर, नागौर

3– पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात् का अवलोकन किया गया। बहस पर मनन किया गया। प्रार्थीगण द्वारा ग्राम पंचायत गोटन के प्रस्ताव सं. 03 दिनांक 26.01.2020, को निरस्त किये जाने को लेकर यह निगरानी प्रस्तुत की गई है। ग्राम पंचायत प्रस्ताव संख्या 03 के अनुसार उक्त भूमि गैर मुमकिन खान (सरकारी भूमि) है। यह भूमि आवादी भूमि नहीं है, अतः ग्राम पंचायत को इसका प्रस्ताव लेने का कोई अधिकार नहीं है। ग्राम पंचायत गोटन ने अपने क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर उक्त प्रस्ताव को पारित किया है। ऐसी स्थिति में आदेश जैर प्रस्ताव में हस्तक्षेप किया जाना उचित प्रतीत होता है।

5– उपर्युक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत निगरानी स्वीकार की जाकर ग्राम पंचायत गोटन द्वारा प्रस्ताव सं. 03 दिनांक 26.01.2020 को निरस्त किया जाता है।

6– निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मोहन लाल खटनावलिया)
अपर जिला कलक्टर,
नागौर

अपर कलक्टर, नागौर